डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

रामदयाल बनाम बदनसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 25/2021

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......-- व हाजरी वादी मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दठ व .... डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 142 रकबा 0.53 है0 साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादी को वयनामा दिनांक 12.08.81 के आधार पर 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह बिज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – की अदा करें । ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ——————

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.03.2025 को जारी की गई ।

दस्तखत— 26/03/25

मुहर

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतन्नामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:07:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. बदनसिंह पुत्र कजौडी जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. देवेन्द्रपाल पुत्र स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. महादेई बेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

26/03/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:07:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 25/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/00036
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. बदनसिंह पुत्र कजौडी जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. देवेन्द्रपाल पुत्र स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. महादेई बेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महेन्द्र मीणा एड.(वादी की ओर से)

श्री अशोक कुमार (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण जो वाद लडने में सक्षम हैं। मृतक भूपसिंह के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 142 रकबा 0.53 है0 साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2073–78 खाता संख्या 535 से साबित है।
3. यह कि विवादित आराजी जरिए वयनामा छाजू पुत्र बादाम सिंह व रतनसिंह नाबालिग पुत्र बादाम सिंह जरिए बली सरपरस्त छाजू पुत्र बादाम सिंह से खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जरिए रजि. वयनामा वादी व

26/03/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:07:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण के पिता भूपसिंह व कजौडी ने दिनांक 12.08.1981 को 4000 रूपए क्रय किया था और भूपसिंह व कजौडी की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को बनाया गया है जिसमें वयनामा मुताबिक भूपसिंह व वादी रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह व कजौडी पुत्र रामफूल जाति जाट निवासी गुदावली ने वाहिस्सा बराबर खरीद किया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्तकाल नंबर 217 का पूर्व वयनामा खरीद का इन्द्राजात गलत करते हुए बदनसिह पुत्र कजौडी जो 1/3 हिस्से का हिस्सेदार है उसके नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज गलत अंकन किया है व भूपसिंह व रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह का 1/4, 1/4 हिस्सा अंकन के स्थान पर 2/3 हिस्सा वयनामा मुताबिक किया जाना न्यायहित में था जिससे वादी जरिए दावा वयनामा के आधार पर कजौडी पुत्र रामफूल के 1/3 हिस्सा के बजाए 1/2 जो बदनसिह पुत्र कजौडी के नाम गलत अंकन है उसे 1/3 हिस्सा वयनामा के आधार पर किया जाना कानूनी आवश्यक है इसलिए वादी रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 बदनसिंह पुत्र कजौडी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को क्रमशः देवेन्द्रपाल व महादेई को 1/3 हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज अंकन किया जावे व इसी अनुसार दावा में आदेश कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराया जाना उचित है।

4. अंत में वादी द्वारा प्रार्थना की कि उक्त विवादित आराजी पर वादी को के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व गलत इन्द्राजात बदनसिंह पुत्र कजौडी के 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश देते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 की और से श्री अशोक कुमार एड़वोकेट उपस्थित हुऐ। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स. 1 की और से जबाब

दावा पेश किए जाने हेतु बार बार अवसर प्रदान किए गए तदुपरान्त जवाब दावा 24.10.2024 को बंद किया गया । वास्ते साक्ष्यवादी पत्रावली नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम अरौदा, वयनामा रजि. दिनांक 12.08.1981, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके अरौदा पेश किए गए। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह जाति जाट निवासी गुदावली व जग्गो पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार के बयान पेश किए गए। इनसे जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके अरौदा पेश की गई जिसमें विवादित आराजी खसरा नंबर 142 रकबा 0.53 है0 पर बदनसिंह पुत्र कजौडी हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन गुदावली, भूपसिंह पुत्र दुर्गीसिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट साकिन गुदावली व रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट साकिन गुदावली पर खातेदारी अंकित हो रही है यानि कि वादी व प्रति. 1 व प्रति 2 व 3 के पिता व पति के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त विवादित आराजी का साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा से बना है जो मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से साबित है। उक्त साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को जरिए रजि. वयनामा छाजू पुत्र बादाम सिंह व रतनसिंह नाबालिग पुत्र बादाम सिंह जरिए बलीसरपरस्त छाजू पुत्र बादाम सिंह से दिनांक 12.08.1981 को राशि 4000 रूपए में वादी रामदयाल व प्रतिवादी के पिता भूपसिंह व कजौडी ने क्रय किया था। इस प्रकार वयनामा के मुताबिक भूपसिंह व रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह व कजौडी पुत्र रामफूल जाति जाट निवासी गुदावली ने वाहिस्सा बराबर आराजी क्रय की थी। उक्त वयनामा का नामा0 संख्या 217 का पूर्ण वयनामा खरीद का इन्द्राजात गलत कर बदन सिंह पुत्र कजौडी जो 1/3 हिस्से का हिस्सेदार है उसके नाम का

26/03/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:07:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया। भूपसिंह व रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह का 1/4, 1/4 हिस्सा अंकन के स्थान पर 2/3 हिस्सा वयनामा मुताबिक किया जाना था। इस प्रकार वादी रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 बदनसिंह पुत्र कजौडी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः 1/3 हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाना था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से गलत इन्द्राजात दर्ज किए गए हैं जो काबिल कलमजन के हैं। इस संबंध में वादी द्वारा मौखिक बयान में कथन किए हैं जो वादी के वादपत्र की ताहीद करता है। अतः वादी का वादपत्र काबिल स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 142 रकबा 0.53 है0 साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादी को वयनामा दिनांक 12.08.81 के आधार पर 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

26/03/25

गंगाधर मीणा (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by GangaDhar Meena
Date: 2025.07.11 18:07:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner